पत्र संख्या-स्था-1-विधान मण्डल सत्र-2017/ 1186 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 06 जुलाई, 2017

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल वर्ष 2017 का बजट सत्र दिनांक 11-07-2017 से प्रारम्भ हो रहा है । इस सत्र में प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुददे माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा / विधान परिषद में उठाए जाने की सम्भावना है के दौरान प्रतिदिन दोनों सदनों में संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग के कार्य स्थगन के औचित्य के प्रश्न तथा नियमों आदि की सूचनाओं पर विभागीय आख्या/उत्तर तैयार करवाकर उसी दिनांक 12.00 बजे मध्यान्ह तक मा0 विभागीय मंत्री जी/मा0संसदीय कार्य मंत्री जी/मा0नेता सदन विधान सभा/मा0विधान परिषद/मा0मुख्य मंत्री जी को उपलब्ध कराने हेतु विभाग की ओर से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किए जाने की अपेक्षा शासन द्वारा की गई है।

2- अत: अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजकर (कर एवं निबन्धन अनुभाग-3) उत्तर प्रदेश शासन के अ0शा0प0 संख्या-1435 /11-3-2017 दिनांक 06-07-2017 में दिए गये निर्देशानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में कमिश्नर राज्य कर,उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न प्रकार नोडल अधिकारी नामित किए गये है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	कार्यालय का पता	दूरभाष/फैक्स/मो0नं0
1	श्री बी0डी0द्विवेदी, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, राज्य कर जोन प्रथम लखनऊ ।	राज्य कर	कार्यालय एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, राज्य कर जोन प्रथम लखनऊ ।	मो0नं0- 7235002900
2	श्री सुभाष चन्द्र यादव, एडीशनल कमिश्नर (लेखा) राज्य कर, उ0प्र0,लखनऊ ।	--उक्त--	कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश,विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ	0522-2721140 मो0नं0- 9415007353 8765980005
3	श्री विमल प्रकाश गुप्ता, नवपदोन्न ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ । प्रभार-डिप्टी कमिश्नर (विधि) राज्य कर मुख्यालय ।	--उक्त --	--उक्त --	मो0नं0- 7235001029

3- मा0विधान सभा से सम्बन्धित संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग की सूचनाओं का उत्तर उसी दिन नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जाये,ताकि उनके द्वारा सदन में शासन का पक्ष समुचित रुप से प्रस्तुत किया जा सके और शसन को सदन में असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े।

4- उपर्युक्त नोडल अधिकारी मा0विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रत्येक उपवेशन मे सदन की दर्शक दीर्धा में उपस्थित रहकर उपर्युक्त कार्य सम्पन्न करेंगे तथा जीरो डिले के आधार पर सूचना उपलब्ध करायेगे और जिस दिन भी सम्बन्धित विभाग का कोई प्रश्न हो उसकी दूरभाष पर यदि कोई महत्वपूर्ण अथवा जो भी निर्णय हुआ हो,उसकी भी सूचना प्रमुख सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर उ0प्र0शासन एवं कमिश्नर,वाणिज्य कर को देगे।

5- मा0विधान मण्डल सत्र के दौरान लखनऊ से बाहर तथा मुख्यालय पर कोई बैठक आयोजित नही करेगे तथा इस अवधि में कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर न जाये और यदि अपरिहार्य कारणों से बाहर जाना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़कर बाहर जायेगे।

ह0/
(आन्जनेय कुमार)
एडीशनल कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव,कर एवं निबन्धन(अनुभाग-3)उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2- समस्त एडीशनल कमिश्नर राज्य कर,मुख्यालय।
3- समस्त नोडल अधिकारियों को शासन के अ0शा0प0संख्या-1435/11-3-2017 दिनांक 06-07-2017 की छायाप्रति सहित।
4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, राज्य कर,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अवधि में किसी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाये न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को संस्तुति की जाए।
5- समस्त अनुभाग प्रभारी, राज्य कर,मुख्यालय,लखनऊ।

6.7.2017
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2
प्रभार-ज्वांट कमिश्नर, (स्थापना) राज्य कर.
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।